



मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग
रेसीडेन्सी एरिया, इन्दौर

विधि अधिकारी परीक्षा-2026

—:परीक्षा योजना:—

(अ) अंक-योजना :-

परीक्षा	प्रश्नों की संख्या	पूर्णांक	अवधि
खंड 'अ'—सामान्य अध्ययन	50	150	3 घंटे
खंड 'ब'— विषय— विधि	100	300	
योग	150	450	
साक्षात्कार	-	50	
कुल अंक	-	500	

(ब) प्रश्न पत्र योजना :-

1. परीक्षा का आयोजन एक सत्र में 03 घंटे की अवधि का होगा।
2. खंड 'अ' विषय—सामान्य अध्ययन से 50 प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे तथा खंड—'ब' में विधि विषय से संबंधित प्रश्नपत्र में 100 प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। इस प्रकार प्रश्न पत्र में खण्ड 'अ' तथा 'ब' मिलाकर 150 वस्तुनिष्ठ प्रश्न शामिल होंगे। प्रत्येक प्रश्न 03 अंको का होगा। इस प्रकार दोनों खंडों के प्रश्न पत्र का पूर्णांक 450 अंकों का होगा।
3. प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ (बहुविकल्पीय) प्रकार का होगा। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर हेतु चार विकल्प (A,B,C,D) होंगे। अभ्यर्थी को उक्त विकल्पों में से केवल एक सही विकल्प का चयन करना होगा। अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक विकल्पों का चयन करने पर उत्तर निरस्त कर दिया जाएगा। (अभ्यर्थी को एक से अधिक विकल्प चयन करने का अधिकार नहीं होगा। ऐसा किए जाने पर उसे अनुत्तरित (अन अटेम्पटेड) माना जाएगा।)
4. दोनों खंडों (खंड—'अ' तथा खंड—'ब') में पृथक—पृथक 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। मध्यप्रदेश के अधिसूचित अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) एवं दिव्यांगजन (PH) श्रेणी के आवेदकों को परीक्षा में उत्तीर्ण होने हेतु 10—10 प्रतिशत अंकों की छूट दी जाएगी इस प्रकार उक्त श्रेणी के आवेदकों को परीक्षा में उत्तीर्ण होने हेतु प्रत्येक खंड में पृथक—पृथक न्यूनतम 30 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इस प्रकार लिखित परीक्षा की मेरिट दोनों खंडों के प्राप्तांको को जोड़कर बनेगी।

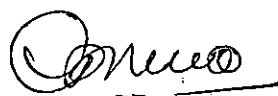
8.10.2026

5. परीक्षा में ऋणात्मक मूल्यांकन का प्रावधान है। मूल्यांकन (3R-W) = प्राप्तांक पद्धति से होगा। जहाँ R = सही उत्तरों की संख्या तथा W = गलत उत्तरों की संख्या होगी। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक प्रदाय किए जाएँगे एवं प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटा जाएगा।
6. प्रश्न पत्र का खंड-‘अ’ एवं खंड-‘ब’ हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होगा।
7. परीक्षा परिणाम के साथ ही अभिलेख-प्रेषण हेतु अंतिम तिथि निर्धारित कर परीक्षा में प्रावधिक सफल अभ्यर्थियों से उनकी अर्हता से संबंधित सभी अभिलेख प्राप्त किए जाएँगे तथा केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा जो अभिलेखों की सूक्ष्म जाँच उपरान्त अर्ह पाए जाएँगे। अंतिम निर्धारित तिथि पश्चात् आयोग द्वारा अभिलेख स्वीकार्य नहीं किए जाएँगे।
8. साक्षात्कार :-

साक्षात्कार 50 अंकों का होगा। साक्षात्कार हेतु कोई न्यूनतम उत्तीर्णांक निर्धारित नहीं हैं।

(स) चयन-प्रक्रिया :-

- 1) चयन-प्रक्रिया के प्रथम चरण में एक प्रश्न पत्र की ऑफलाइन पद्धति (OMR Sheet आधारित) परीक्षा/ऑफलाइन परीक्षा का आयोजन किया जाएगा।
- 2) परीक्षा उपरान्त परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों की प्रावधिक उत्तर कुंजी तैयार कर आयोग की वेबसाइट www.mppsc.mp.gov.in पर प्रकाशित कर 05 दिवस की अवधि में आपत्तियाँ प्राप्त की जाएगी। इस अवधि के पश्चात् प्राप्त किसी भी अभ्यावेदन पर कोई विचार एवं पत्राचार नहीं किया जाएगा। आपत्ति हेतु दिया गया शुल्क किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जाएगा। प्राप्त आपत्तियों पर आयोग द्वारा गठित विषय-विशेषज्ञ समिति द्वारा आपत्तियों पर विचार कर निम्नांकित कार्यवाही की जाएगी :-
 1. ऐसे प्रश्न जिनका प्रावधिक कुंजी में दिए गए विकल्पों में से गलत उत्तर दिया गया है और विकल्पों में अन्य विकल्प सही है, तब प्रावधिक उत्तर कुंजी को संशोधित किया जाएगा।
 2. प्रश्न पत्र में अनुवाद की भाषा में भिन्नता की स्थिति में केवल हिन्दी अनुवाद ही मान्य होगा।
 3. ऐसे प्रश्न जिसका दिए गए विकल्पों में एक से अधिक सही उत्तर है, सभी सही उत्तरों को मान्य किया जाएगा।
 4. ऐसे प्रश्न जिसका दिए गए विकल्पों में एक भी सही उत्तर न हो, प्रश्न को प्रश्न-पत्र से विलोपित किया जाएगा।



5. विषय-विशेषज्ञ समिति द्वारा समस्त अभ्यावेदनों पर विचार करने के पश्चात् अंतिम उत्तर कुंजी बनाई जाएगी तथा आयोग द्वारा वेबसाइट www.mppsc.mp.gov.in पर प्रकाशित की जाएगी। अंतिम उत्तर कुंजी के प्रकाशन के पश्चात् अभ्यर्थियों के कोई भी आपत्ति/पत्र व्यवहार मान्य नहीं किया जाएगा। विषय-विशेषज्ञ समिति का निर्णय अंतिम होगा।
6. उपर्युक्त अनुसार परीक्षण के उपरान्त समिति द्वारा विलोपित किए गए प्रश्नों के लिए प्रश्न पत्र में उपस्थित सभी परीक्षार्थियों को प्रश्न के पूर्णांक प्रदान किए जाएंगे। अंतिम उत्तर कुंजी के प्रकाशन अनुसार अभ्यर्थियों का मूल्यांकन कर परीक्षा-परिणाम घोषित किया जाएगा।
- 3) परीक्षा में प्राप्तांक के गुणानुक्रम के आधार पर विभिन्न प्रवर्गों हेतु विज्ञापित रिक्तियों के अधिकतम 3 गुना तथा समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु प्रावधिक सफल घोषित किया जाएगा।
- 4) साक्षात्कार में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों को चयन के लिए अनर्ह माना जाएगा। साक्षात्कार के लिए आवेदकों को बुलाने के संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा। यह निर्णय आयोग की वेबसाइट www.mppsc.mp.gov.in पर उपलब्ध रहेगा। अभ्यर्थी समय-समय पर आयोग की वेबसाइट का अवलोकन करते रहें।
- 5) आयोग की परीक्षा प्रणाली में पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना का कोई प्रावधान नहीं है। इस विषय में प्राप्त अभ्यावेदनों पर कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी।

टीप:- अभ्यर्थी भलीभांति तय कर लें कि वे संबंधित विषय की अनिवार्य अर्हता धारित करते हैं, तभी आवेदन करें। आयोग द्वारा परीक्षा के किसी भी चरण में उनके दस्तावेज मंगाए जा सकते हैं। गलत जानकारी देने पर परीक्षार्थी को दिवर्जित (डिबार) किया जा सकेगा।

परीक्षा नियंत्रक

विधि अधिकारी परीक्षा—2026

खंड—'अ'

पाठ्यक्रम— सामान्य अध्ययन

Law Officer Exam- 2026

Section- 'A'

Syllabus-General Studies

इकाई—01: मध्यप्रदेश का इतिहास।

- मध्यप्रदेश का प्राचीन इतिहास—प्रागैतिहासिक काल, आद्यऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल।
- मध्यप्रदेश का मध्यकालीन इतिहास।
- मध्यप्रदेश का आधुनिक इतिहास।
- मध्यप्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन।
- मध्यप्रदेश का जनजातीय इतिहास एवं जनजातीय साहित्य।

UNIT-01: History of Madhya Pradesh

- Ancient History of Madhya Pradesh - Prehistoric Period, Protohistoric Period and Historic Period.
- Medieval History of Madhya Pradesh.
- Modern History of Madhya Pradesh.
- Freedom Movement in Madhya Pradesh.
- Tribal History and Tribal Literature of Madhya Pradesh.

इकाई—02: मध्यप्रदेश का भूगोल।

- राज्य की भौगोलिक स्थिति तथा विस्तार, प्रमुख नदियाँ, पर्वत।
- जलवायु: मौसम, मिट्टियाँ, तापमान, वर्षा, वनों के प्रकार और वनोपज।
- कृषि: प्रमुख फसलें, सिंचाई के स्रोत, सिंचाई परियोजनाएँ।
- ताप विद्युत परियोजनाएँ, गैर—पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, प्रमुख खनिज।
- जनसंख्या का आकार, वृद्धि और साक्षरता, यातायात, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग।

UNIT-02: Geography of Madhya Pradesh

- Geographical location and extent of the state, major Rivers, mountains.
- Climate: Seasons, Soils, Temperature, Rainfall, Forest types and Forest produce.
- Agriculture: Major crops, Sources of irrigation, Irrigation projects.
- Thermal power projects, Non-conventional energy sources, Major Minerals.
- Population size, Growth and Literacy, Transportation, Food processing industries.

इकाई-03 : मध्यप्रदेश की राजनीति एवं अर्थव्यवस्था।

Politics and Economy of Madhya Pradesh

भाग-‘अ’

मध्यप्रदेश की राजनीति

- राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रीमंडल, विधानसभा, उच्च न्यायालय, लोकायुक्त।
- राज्य सचिवालय, मुख्य सचिव, संभागायुक्त, पुलिस कमिश्नर।
- जिला प्रशासन, नगरीय प्रशासन, स्थानीय स्वशासन, पंचायती राज संस्थाएँ।
- राज्य चुनाव आयोग, राज्य सूचना आयोग, राज्य अनुसूचित जाति आयोग, राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, राज्य महिला आयोग।
- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निरोधक अधिनियम, 1989; पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार (पेसा) अधिनियम, 1996; पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986; मध्यप्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम, 2004।

Politics of Madhya Pradesh

- Governor, Chief Minister, Cabinet, Vidhan Sabha, High Court, Lokayukta.
- State Secretariat, Chief Secretary, Divisional Commissioner, Police Commissioner.
- District Administration, Urban Administration, Local Self Government, Panchayati Raj Institutions.
- State Election Commission, State Information Commission, State Scheduled Castes Commission, State Scheduled Tribes Commission, State Backward Classes Commission, State Commission for Women.
- Schedule Caste and Schedule Tribe Prevention of Atrocities Act, 1989; Panchayats Extension to Schedule Areas (PESA) Act, 1996; Environment Protection Act, 1986; Madhya Pradesh Govansh Vadh Pratishedh Adhiniyam, 2004.

भाग-‘ब’

मध्यप्रदेश की अर्थव्यवस्था

- मध्यप्रदेश की अर्थव्यवस्था का अवलोकन।
- मध्यप्रदेश में कृषि एवम् ग्रामीण विकास की स्थिति।
- मध्यप्रदेश में औद्योगिक एवम् आधारभूत ढाँचे की संरचना का विकास।
- मध्यप्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कौशल विकास की स्थिति।
- सतत विकास लक्ष्य, व्यवसायिक सुगमता एवम् बहुआयामी गरीबी सूचकांक में मध्यप्रदेश की स्थिति।

Economy of Madhya Pradesh

- Overview of the Economy of Madhya Pradesh.
- Status of Agriculture and Rural Development in Madhya Pradesh.
- Development of Industrial and Infrastructural Framework in Madhya Pradesh.
- Status of Education, Health and Skill Development in Madhya Pradesh.
- Status of Madhya Pradesh in Sustainable Development Goals, Ease of Doing Business and Multidimensional Poverty Index.

इकाई-04 मध्यप्रदेश की जनजातियाँ : विरासत, लोक संस्कृति एवं लोक साहित्य (म.प्र. के विशेष संदर्भ में)

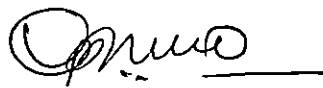
- मध्यप्रदेश में जनजातियों का भौगोलिक विस्तार, जनजातियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान।
- मध्यप्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ एवं विशेष पिछड़ी जनजातियाँ, जनजातियों के कल्याण के लिए योजनाएँ।
- मध्यप्रदेश की जनजातीय संस्कृति: परम्पराएँ, विशिष्ट कलाएँ, त्यौहार, उत्सव, भाषा, बोली एवं साहित्य।
- मध्यप्रदेश की जनजातियों का भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान एवं राज्य के प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व। मध्यप्रदेश में जनजातियों से संबंधित प्रमुख संस्थान, संग्रहालय, प्रकाशन आदि।
- मध्यप्रदेश की लोक संस्कृति एवं लोक साहित्य।

UNIT-04 Tribes of Madhya Pradesh : Heritage, Folk Culture and Folk Literature (with special reference of M.P.)

- The geographical spread of tribes in Madhya Pradesh, constitutional provisions related to tribes.
- Major tribes of Madhya Pradesh and Particularly Vulnerable Tribal Groups (PVTGs). Tribal welfare programs.
- Tribal culture of Madhya Pradesh: Traditions, Special arts, festivals, celebrations, language, dialects and literature.
- Madhya Pradesh tribal's contribution to the freedom struggle of India and iconic tribal personalities of state. Popular institutes related to tribes of Madhya Pradesh, tribal museums, publications etc.
- Folk culture and folk literature of Madhya Pradesh.

इकाई-05 अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय व मध्यप्रदेश की महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएँ तथा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी

- महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएँ।
- मध्यप्रदेश की महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएँ एवं प्रमुख जनकल्याणकारी योजनाएँ।
- मध्यप्रदेश के चर्चित व्यक्तित्व एवं महत्वपूर्ण स्थान।
- कंप्यूटर, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, ई-गवर्नेंस।
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा साइंस और इंटरनेट ऑफ थिंग्स का आधारभूत ज्ञान।



UNIT-05 Important Contemporary Events of International, National and Madhya Pradesh and Information and Communication Technology

- Important International and National Contemporary events.
- Important Contemporary events and Major Public Welfare Schemes of Madhya Pradesh.
- Prominent Personalities and Important Places of Madhya Pradesh.
- Computers, Information & Communication Technology, E-Governance.
- Basic knowledge of Artificial Intelligence (AI), Machine Learning, Cloud Computing, Data Science and Internet of Things.

---XXX---



विधि अधिकारी परीक्षा—2026
Law Officer Exam- 2026

खंड—‘ब’
Section- ‘B’

पाठ्यक्रम— विधि
Syllabus -Law

इकाई—I : भारत की आधारभूत विधियाँ

Basic Laws of India

- भारत का संविधान
The Constitution of India.
- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023
Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023
- भारतीय न्याय संहिता 2023
The Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023
- भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023
The Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023
- भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988
The Prevention of Corruption Act, 1988
- राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980
National Security Act, 1980

इकाई—II : मध्यप्रदेश के लघु विविध अधिनियम

Madhya Pradesh Miscellaneous Minor Acts

- मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915
Madhya Pradesh Excise Act, 1915
- मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990
Madhya Pradesh State Security Act, 1990
- मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010
Madhya Pradesh Lok Sewaon ke Pradan ki Guarantee Adhiniyam, 2010
- मध्यप्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम, 2004
Madhya Pradesh Govansh Vadh Pratishedh Adhiniyam, 2004
- मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम, 2011
Madhya Pradesh Vishesh Nyayalaya Adhiniyam, 2011



इकाई-III: महिला एवं बच्चों के उत्पीड़न प्रतिषेध विषयक विधियाँ

Prevention of Harassment of Women and Children related laws

- लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012
The Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act, 2012
- कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम निषेध, निवारण) अधिनियम, 2013
Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013
- घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005
Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005
- किशोर न्यायालय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015
Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015
- महिलाओं का अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986
Indecent Representation of Women (Prohibition) Act, 1986

इकाई-IV : विशिष्ट विधियाँ

Specific Laws

- लोक संपत्ति नुकसानी निवारण अधिनियम, 1984
The Prevention of Damage to Public Property Act, 1984
- विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987
Legal Services Authority Act, 1987
- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989
The Scheduled Cast and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989
- मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993
The Protection of Human Rights Act, 1993
- कारागार अधिनियम, 1894 (मध्यप्रदेश राज्य के स्थानीय संशोधनों सहित)
The Prison Act, 1894 (Along with Madhya Pradesh State local amendments)
- बंदी अधिनियम, 1900 (मध्यप्रदेश राज्य के स्थानीय संशोधनों सहित)
The Prisoner's Act, 1900 (Along with Madhya Pradesh State local amendments)
- दंड प्रक्रिया (शनाख्त) अधिनियम, 2022
Criminal Procedure (Identification) Act, 2022
- मध्यप्रदेश बंदी प्रतिबन्धात्मक मुक्ति विधान, 1954
M.P. Prisoners Release on Probation Act, 1954
- अपराधी परीवीक्षा अधिनियम, 1958
The Probation of Offenders Act, 1958



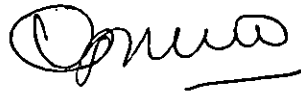
इकाई—V : विविध अपराधिक विधियाँ

Miscellaneous Criminal Laws

- विस्फोटक अधिनियम, 1884
The Explosive Act, 1884
- आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955
The Essential Commodities Act, 1955
- स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985
Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985
- आयुध अधिनियम, 1959
Arms Act, 1959
- सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000
Information Technology Act, 2000
- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
Right to Information act, 2005

नोट :- उक्त परीक्षा के पाठ्यक्रम में उपरोक्त लिखित अधिनियमों में, यदि केन्द्र शासन या राज्य शासन द्वारा कोई संशोधन किया जाता है तो उसे भी पाठ्यक्रम में सम्मिलित माना जाएगा।

--XX--



08. 10. 2026